



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15406

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1692/2026

अल्गु (मृत) एवं अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: देव प्रकाश सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 - उप-जिलाधिकारी, बांसडीह, जनपद बलिया को निर्देश दिया जाए कि वे मौजा महतपाल उर्फ सहतवार, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में उ.प्र.ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1901 की धारा 176 के तहत दिनांक 15.04.2011 को दायर वाद संख्या 7167/2025 क्यूटर वाद संख्या टी202515090607167 (अल्गु बनाम हरि शंकर) को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत करें।
4. यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
6. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 - उप-जिलाधिकारी, बांसडीह, जनपद बलिया को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, पक्षों को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से निर्णीत करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"